भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2737

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

जीवन बीमा निगम के एजेंटों में विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा की कमी

2737. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जीवन बीमा निगम के एजेंटों, जिन्हें विकास अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित और मार्गदर्शित किया गया है उनमें विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा की संभावित कमी को दूर करने की कोई योजना है;

(ख) क्या ये एजेंट निजी बीमाकर्ताओं के उत्पाद बेच रहे हैं और यदि हां, तो एलआईसी की बाजार स्थिति और कार्यबल स्थिरता की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या निजी बीमाकर्ता नए एजेंटों की भर्ती करने के बजाय संभावित रूप से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशिक्षित एजेंटों का उपयोग कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि बीमा क्षेत्र में रोजगार के समग्र अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(घ) यदि प्रस्तावित संशोधन एजेंटों के फोकस कार्य-निष्पादन को कम करते हैं तो विकास अधिकारियों के लिए नौकरी की असुरक्षा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षोपाय लागू किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति के कमजोर पड़ने के संभावित आर्थिक और बाजार परिणामों का विस्तृत आकलन किया है और यदि हां, तो इस क्षेत्र की स्थिरता और जीवन बीमा निगम की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के ले क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): बीमा एजेंटों की नियुक्ति भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 अभिशासित है। इन विनियमों के अनुसार कोई व्यक्ति दो या अधिक बीमा कंपनियों के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि वह एक से अधिक जीवन बीमा कंपनियों, एक सामान्य बीमा कंपनी, एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी और एकल श्रेणी (मोनो-लाइन) बीमाकर्ताओ में से प्रत्येक श्रेणी में एक बीमाकर्ता से अधिक के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसलिए, वर्तमान विनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी एजेंट को एक से अधिक जीवन बीमा कंपनियों के जीवन बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति देता हो।

विकास अधिकारी (डीओ) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा की कुछ नियमों और शर्तों का संशोधन) नियम, 2009 द्वारा अभिशासित हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। एलआईसी के पास डीओ और अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक सुदृढ़ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली है।

बीमा कम्पनियां इरडाई के विनियमों के अनुपालन के अधीन अपनी व्यावसायिक रणनीति के अनुसार बीमा एजेंटों की नियुक्ति करती हैं। सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर एलआईसी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी की जाती है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एलआईसी के पास पहले वर्ष के प्रीमियम के आधार पर 58.87% और पॉलिसियों की संख्या के आधार पर 69.91% की बाजार हिस्सेदारी थी। एलआईसी के पास आशाप्रद एजेंट संख्या भी है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 5% से बढ़कर 14,14,743 हो गई है।

*****